

7.12.2021

पत्रावली वकील कंपनीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर
लखव होकर पेश हुई। पत्रावली में उक्त
प्रद्वकारान के मध्य राजीनामा पेश हुआ जो
शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में
विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर

~~राजेश~~
राजेश
राजेश



नम्बर
अहमद
हुकम
में जा

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार मासलपुर को भेजी जावे। पत्रावली फ़ैलत शुमार लेकर नम्बर ले कम लेकर वाद तक मीक दारिबल इफ्तार हो। निर्णय आज डिंक 27.12.2021 को लिखा जाकर सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली
पीठासीन अधिकारी :- धीरेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मु0नं0
13/2021

आर.सी.एम.एस
2021/104

तारीख रजू
14.9.2021

1. सुगनलाल उम्र 52 साल | पुत्रान भोरया जाति मीना नि. मनियापुरा
2. दिनेश सिंह उम्र 48 साल | तहसील मासलपुर जिला करौली राज. ----- अपीलान्टस

बनाम

1. भवर पुत्र भोरया उम्र 58 साल जाति मीना नि. मनियापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली (राज.)
2. ग्राम पंचायत कोटा (छाबर) जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कोटा (छाबर) तहसील मासलपुर जिला करौली (राज.) ----- रेस्पोजेन्ट

निर्णय

दिनांक 27.12.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस ने यह अपील इस आशय की पेश की है कि निर्णय दिनांक 6.05.1976 बावत् नामान्तकरण संख्या 135,136 ग्राम कोटा (छाबर) तहसील मासलपुर पूर्व तहसील करौली अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत कोटा (छाबर) रेस्पोजेन्ट नं. 2 खिलाफे कानून रुहेदार मिसल है आरवेटेटरी है परवरिश रेस्पोजेन्ट है एक पक्षीय है प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत है विधि विरुद्ध है अपीलान्टस व रेस्पोजेन्ट नं. 1 मृतक भोरया के पुत्रगण है और भूमि में मृतक भोरया के स्थान पर समान-समान हिस्से के खातेदार है और मृतक भोरया के वैध वारिस है और नामान्तकरण जैर अपील में अपना नाम रेस्पोजेन्ट नं.1 के साथ दर्ज कराने के अधिकारी है पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जाँच किये जैर अपील नामान्तकरण अपीलान्टस को छोड़ते हुए विधि विरुद्ध रूप से स्वीकृत निर्णय दिनांक 6.5.1976 से किया गया है जो निरस्त किये जाने के योग्य है। अपीलान्टस को उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 28.7.2021 को होने पर अपील अंदर म्याद पेश की गयी है। दिनांक 6.5.1976 से दिनांक 28.7.2021 तक के समय को जानकारी अपीलान्ट के अभाव में कण्डोन किये जाने का आवेदन धारा 5 म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया है। अंत अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलान्टस दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोजेन्टस नं.1 व अपीलान्टस ने दिनांक 27.12.2021 को उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजीनामा व अपील के साथ प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 135,136 दिनांक 6.5.1976 ग्राम कोटा (छाबर) तहसील मासलपुर पूर्व तहसील करौली में मृतक भोरया का विरासत नामान्तकरण भोरया के एक ही पुत्र भवर रेस्पोजेन्टस नं. 1 के हक दर्ज कर स्वीकृत किया गया है यह समस्त कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोजेन्टस नं.2 ने अपीलान्ट जो वक्त नामान्तकरण नाबलिंग थे उन्हें सुने बिना एक ही दिन में होना नामान्तकरण से प्रकट है। अपीलान्टस भी मृतक भोरया के पुत्रगण है और रेस्पोजेन्ट नं. 1 के सगे भाई है जिन्हे पटवारी हल्का गिरदावर हल्का व अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोजेन्ट नं.2 ग्राम कोटा (छाबर) द्वारा गलत रूप से नामान्तकरण में दर्ज नहीं कर छोड़ा गया है। जबकि

अपीलान्टस मृतक भोरया के वारिस होने से अपने नामान्तकरण गैर अपील में जुडवाने, दर्ज कराने के हकदार है अपील अपीलान्टस स्वीकार किये जाने के योग्य है।

अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाती है अपीलान्टस का नामान्तकरण संख्या 135,136 दिनांक 6.5.1976 ग्राम कोटा (छाबर) तहसील मासपलुर पूर्व तहसील करौली में रेस्पोंडेण्ट नं. 1 के साथ नामदर्ज कराने के अधिकारी है तहसीलदार मासलपुर को आदेश दिये जाते है कि वह अपीलान्टस का नाम नामान्तकरणों में दर्ज करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार मासलपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(धरिन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
करौली